



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 9 जनवरी, 2018

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरआई/1/148/2018.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन और केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से निम्नलिखित अधिसूचना अर्थात् – "अनिवार्य अध्यर्पण" जारी करता है।

1. **प्रयोज्यता:** यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101 ए के प्रावधान के अनुसार भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और अन्य प्रयोज्य बीमा कंपनियों पर लागू होगी।

2. **अध्यर्पण का प्रतिशत:** भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) के पास पुनर्बीमा की जाने वाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत अध्यर्पण 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ होने वाले 31 मार्च 2018 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध किये जाने वाले बीमे के संबंध में 5% होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनिवार्य अध्यर्पण का प्रभाजन भारतीय साधारण बीमा निगम और आईटीआई पुनर्बीमा लिमिटेड के बीच क्रमशः 5% और 0% पर होगा।

3. **शर्तें :**

क) **अध्यर्पण के लिए बीमित राशि की सीमाएँ :**

i. अनिवार्य अध्यर्पण के लिए बीमित राशि की निम्नलिखित सीमाएँ 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर, 2017 तक लागू होंगी।

श्रेणी	बीमित राशि में अध्यक्षर्पण की सीमा
फायर, आईएआर बड़े जोखिम	750 करोड़ रुपये बीमित राशि (एमडी+एलओपी) प्रति जोखिम
मरीन कार्गो/ डीएसयू बीमा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी/ बॉटम/ प्रेषण
मरीन हल	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान
युद्ध और एसआरसीसी	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान
वित्तीय देयता को छोड़कर अन्य सभी देयता उत्पाद	अमेरिका सहित 25 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी तथा अमेरिका को छोड़कर 50 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी
वित्तीय, ऋण और गारंटी व्यवस्थाएँ, बंधक बीमा, विशेष आकस्मिकता पॉलिसियाँ आदि	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी
मशीनरी का ब्रेकडाउन, बॉयलर विस्फोट और संबंधित लाभ की हानि	100 करोड़ रुपये प्रति जोखिम
ठेकेदार के सभी जोखिम, सभी जोखिमों का उत्थापन, अग्रिम लाभ की हानि, डीएसयू बीमा	500 करोड़ रुपये प्रति जोखिम (एमडी+एलओपी)
तेल और ऊर्जा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जोखिम
अन्य	कोई सीमा नहीं

- ii. बीमित राशि की कोई भी सीमा 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान किये गये अध्यक्षर्पणों के लिए लागू नहीं होगी।
- iii. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अध्यक्षर्पक बीमाकर्ता से अपेक्षा कर सकता है (कर सकते हैं) कि वह भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी भी अध्यक्षर्पण की जोखिम-अंकन सूचना की जानकारी तत्काल दे। जब भी अध्यक्षर्पण ऐसी विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है तब हर समय अध्यक्षर्पक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) को सूचित करेगा।

ख) कमीशन:

व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनिवार्य अध्यक्षर्पण पर कमीशन का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

- i. मोटर टीपी तथा तेल और ऊर्जा बीमा के लिए न्यूनतम 5%।
- ii. सामूहिक स्वास्थ्य बीमा के लिए न्यूनतम 10%।
- iii. विमानन बीमा के लिए औसत शर्तें।
- iv. बीमा व्यवसाय की सभी अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम 15%।

उपर्युक्त से अधिक कमीशन भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) और अध्यक्षर्पक बीमाकर्ता के बीच पारस्परिक तौर पर सहमत रूप में हो सकता है।

ग) लाभ कमीशन:

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता निम्नलिखित के फैक्ट्रिंग के बाद कार्यनिष्पादन और अध्यक्ष बीमाकर्ता के कुल अनिवार्य संविभाग के आधिक्य के आधार पर अध्यक्ष बीमाकर्ता के साथ 50% : 50% आधार पर लाभ कमीशन का साझा करेगा/ करेंगे।

- i. उपगत हानि % (3 वित्तीय वर्षों के अंत में गणना करनी चाहिए)।
- ii. 2% पबंधन व्यय।
- iii. 5% लाभ।
- iv. 15% कमीशन।
- v. 50% से 78% तक हानि अनुपात।

कोई लाभ कमीशन देय नहीं है यदि हानि अनुपात 78% से अधिक हो। लाभ कमीशन 14% से अधिक नहीं होगा।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./390/17]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 9th January, 2018

F. No IRDAI/RI/1/148/2018.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act, 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee, constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely: - “Obligatory Cession”

- 1. Applicability:** This notification shall be applicable to Indian Reinsurers and other applicable insurers as per the provision of Section 101A of Insurance Act, 1938.
- 2. Percentage of Cession:** The percentage cession of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer(s) shall be 5% in respect of insurance attaching during the financial year beginning from 1st April, 2017 to 31st March, 2018. Apportionment of obligatory cession for the FY 2017-18 will be at 5% and 0% between General Insurance Corporation of India and ITI Reinsurance Ltd. respectively.
- 3. Terms & Conditions:**
 - a) Sum insured limits for cession:**
 - i. The following sum insured limits for obligatory cession shall be applicable from 1st April, 2017 to 30th September, 2017.

Class	Limit of cession in sum insured
Fire, IAR Large Risks	Rs 750 crore sum insured (MD+LOP) per risk
Marine Cargo/ DSU Insurance	Rs 50 crore sum insured per policy/bottom/sending
Marine Hull	Rs 50 crore sum insured per vessel
War & SRCC	Rs 50 crore sum insured per vessel
All Liability products excluding financial liability	Rs 25 crore per policy including USA and Rs 50 crore per policy excluding USA
Financial, Credit and Guarantee Lines, mortgage insurance, special contingency policies etc.	Rs 50 crore sum insured per policy
Machinery Breakdown, Boiler Explosion and related loss of profit	Rs 100 crore per risk
Contractor's All Risks, Erection All Risks, Advance Loss of Profit, DSU Insurance	Rs 500 crore per risk (MD+LOP)
Oil & Energy	Rs 50 crore SI per risk
Others	No Limit

- ii. No sum insured limit shall be applicable for the cessions made during the period from 1st October, 2017 to 31st March, 2018.
- iii. In view of the above, the Indian Reinsurer(s) may require the ceding insurer to give immediate notice of underwriting information of any cession exceeding an amount specified by the former. The ceding insurer shall inform to the Indian Reinsurer(s) at all times whenever the cession exceeds such specified limits.

b) Commission:

Percentage of commission on obligatory cession for different classes of business shall be as follows:

- i. Minimum 5% for Motor TP and Oil & Energy insurance.
- ii. Minimum 10% for Group Health insurance.
- iii. Average Terms for Aviation insurance.
- iv. Minimum 15% for all other classes of insurance business.

Commission over and above, can be as mutually agreed between Indian Reinsurer(s) and the ceding insurer.

c) Profit Commission:

The Indian reinsurer(s) shall share the profit commission, on 50%:50% basis, with the ceding insurer based on the performance and surplus of the total obligatory portfolio of the ceding insurer, after factoring the following:

- i. Incurred loss % (to be worked at the end of 3 financial years).
- ii. Management Expenses at 2%.
- iii. Profit at 5%.
- iv. Commission at 15%.
- v. Loss ratio at 50% to 78%.

No profit commission is payable if the loss ratio exceeds 78%. Profit commission shall not exceed 14%.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./390/17]